(1)

...पी द्वारा रखा जाने वाला)

क्रम संख्या 91

...ने का दिनांक

शुल्क

...माणीकरण के लिए शुल्क

1230

...ीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

...000 Rs.5000

...ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

...PRADESH

A 296569

## विक्रय–पत्र

### लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. | परगना | : बिजनौर |
| 3. | ग्राम | : बरौना |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) | : भूमि खसरा संख्या–295 |
| 5. | मापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.1130 हेक्टेअर |

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 296570



| | | |
|---|---|---|
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : 7 पेड़ |
| 9. | बोरिंग / कुआ / अन्य | : नहीं |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि | : रू0 1,25,000 / – |
| 11. | मालियत | : रू0 1,42,500 / – |
| 12. | स्टाम्प | : रू0 15,000 / – |

**चौहद्दी**

*खसरा नं0. 295*

| | |
|---|---|
| उत्तर | : खसरा संख्या–283 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–297 |
| पूरब | : चकरोड |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–294 |

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 296679

FEB 2007

A.T.T.O.
TRY.LKO.



प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

| विक्रेता का विवरण | : | क्रेता का विवरण |
|---|---|---|
| गयाप्रसाद पुत्र रघुबर,<br>निवासी– ग्राम बरौना,<br>परगना– बिजनौर, तहसील व<br>जिला लखनऊ।<br>व्यवसाय – कृषि | | शिव लाल पुत्र सुघई,<br>निवासी– मिर्जापुर, भिटारी,<br>पोस्ट–नवगांव,<br>जिला–फतेहपुर, उ0प्र0।<br>व्यवसाय– कृषि |

नि0 अं0 गयाप्रसाद नि0 अं0 शिवलाल

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख गयाप्रसाद पुत्र रघुबर, निवासी- ग्राम बरौना, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् शिव लाल पुत्र सुघई, निवासी- मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता नें कृषि भूमि खसरा संख्या-295 कुल रकबा 0.2260 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.1130 हेक्टेअर स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक, कामिल व काबिज है । अब विक्रेता को रूपयों की जरूरत पड़ने के कारण खसरा संख्या-295 कुल रकबा 0.2260 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.1130 हेक्टेअर स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ अपना कुल हिस्सा बेच रहा है। इस प्रकार खसरा संख्या-295 कुल रकबा 0.2260 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.1130 हेक्टेअर स्थित ग्राम बरौना, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की विक्रेता मालिक, कामिल व काबिज है उक्त भूमि विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा उक्त आरजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में

किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 1,25,000/– (रूपया एक लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसके आधे रू0 62,500/– (रूपया बासठ हजार पाँच सौ मात्र) होते है **बदस्त क्रेता शिव लाल पुत्र सुघई, निवासी– मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0** के बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि चेक कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय

नि॰ अं॰ [illegible] नि॰ अं॰ शिवलाल

प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में कोई कुआं व इमारत, ट्यूबेवल आदि नहीं है तथा आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना– बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/– प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.1130 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,25,000/– होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, तथा उपरोक्त सम्पत्ति पर 7 पेड़ लगे हैं जिनकी मालियत रू0 35,000/– आती है चूंकि विक्रेता उपरोक्त कृषि भूमि का मालिक है इस प्रकार पेड़ों की मालियत 17,500/– आती है इस प्रकार विक्रय मूल्य रू0 1,25,000/– + रू0 17,500/– = रू0 1,42,500/– होती है, अतः नियमानुसार

बाजारू मूल्य पर रू0 15,000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। तथा गवाह नं0 1 ने क्रेता की पहचान की है तथा गवाह नं0 2 ने विक्रेता की पहचान के साथ समस्त जिम्मेदारी ली है अगर कोई विक्रेता के बारे में बात होती है तो सिर्फ गवाह नं0 2 ही जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्लतानपुर रोड से 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

## विवरण भुगतान

रू0 1,25,000/– (रूपया एक लाख पच्चीस हजार मात्र) द्वारा चेक नं0 474740 दिनांकित 06.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज शाखा, लखनऊ, विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

बाजारू मूल्य पर रू0 15,000/– का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। तथा गवाह न0 1 ने क्रेता की पहचान की है तथा गवाह नं0 2 ने विक्रेता की पहचान के साथ समस्त जिम्मेदारी ली है अगर कोई विक्रेता के बारे मे बात होती है तो सिर्फ गवाह नं0 2 ही जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्लतानपुर रोड से 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

रू0 1,25,000/– (रूपया एक लाख पच्चीस हजार मात्र) द्वारा चेक नं0 474740 दिनांकित 06.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज शाखा, लखनऊ, विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विक्रय पत्र

125,000.00/ **143,000.00**

प्रतिफल मालियत

| 2,860.00 | 40 | 2,900.00 | 2,000 |
|---|---|---|---|
| फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |

श्री /श्रीमती गयाप्रसाद

पुत्र / पत्नी श्री रघुबर

पेशा कृषि

निवासी स्थायी बरौना लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/2/2007 समय 5:44PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के के शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/2/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

**श्री/श्रीमती गयाप्रसाद**

**पुत्र/पत्नी श्री रघुबर**

**पेशा कृषि**

**निवासी बरौना लखनऊ**

क्रेता

**श्री/श्रीमती शिवलाल**

**पुत्र/पत्नी श्री सुधई**

**पेशा व्यापार**

**निवासी मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर**

**ने निष्पादन स्वीकार किया ।**

जिनकी पहचान श्री **सुनील सिन्हा**

**पुत्र श्री जी सी सिन्हा**

**पेशा व्यापार**

**निवासी आर्यानगर लखनऊ**

**व श्री मनोज कुमार**

**पुत्र श्री गुरुप्रसाद**

**पेशा व्यापार**

**निवासी भेडहनखेड़ा बरौना लखनऊ**

**ने की ।**

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

**के के शुक्ला**

**उप निबन्धक (प्रथम)**

**लखनऊ**

6/2/2007

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

<u>नोट</u> : पृष्ठ संख्या-7 में चेक संख्या पेन से लिखा गया है।

दिनांकः- 06.02.2007
लखनऊ
**गवाहानः-**
क्रेता की पहचान की
1. Sunil Kumar Singh
S/o Sri G.C. Singh
288 Amrapali [illegible]
L-[illegible]

(गयाप्रसाद)
हस्ताक्षर / विक्रेता

विक्रेता की पहचान की
2. मनोज कुमार S/o गुरुप्रसाद
ग्राम मंडहनखेड़ा पो० हसन पुर खेवली
लखनऊ

(शिव लाल)
हस्ताक्षर / क्रेता

टाईपकर्ताः

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ताः

(एस०एम० सक्सेना)
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट, लखनऊ

विक्रेता

Registration No 1238 Year : 2007 Book No. 1

0101 गयाप्रसाद

रघुबर

बरौना लखनऊ

कृषि

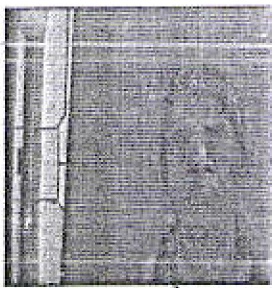

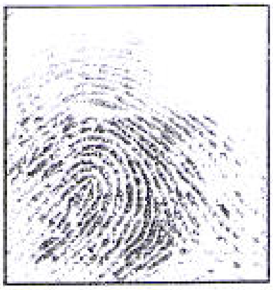

## रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:– [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

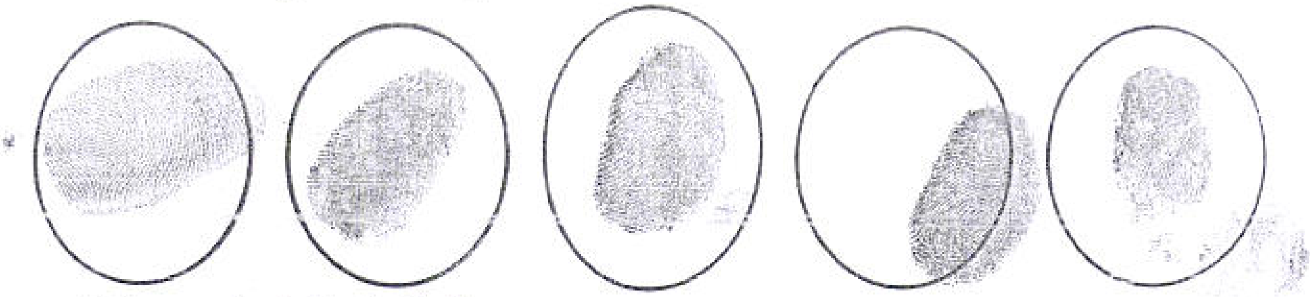

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

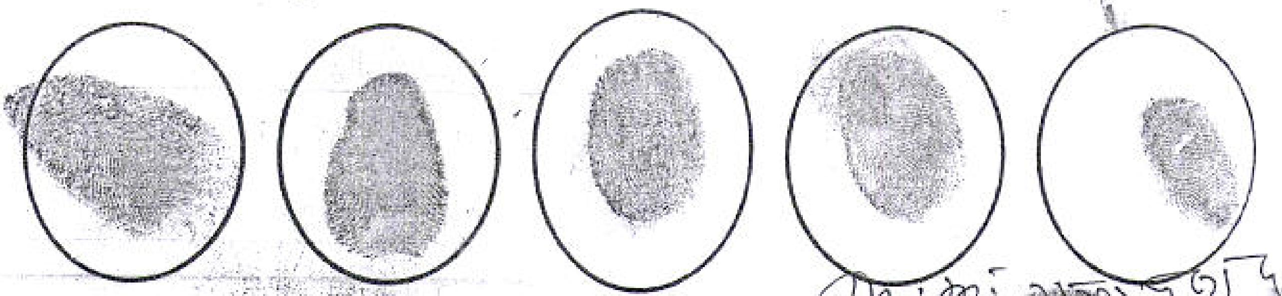

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

क्रेता

Registration No. 1238 Year : 2007 Book No. 1

0201 शिवलाल

सुचई

मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

व्यापार

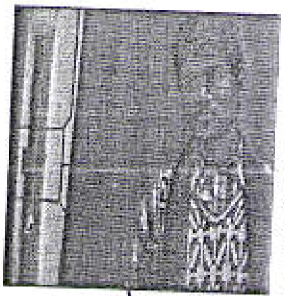

नक्शा नजरी

ग्राम

खसरा संख्या

विक्रेता

क्रेता

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

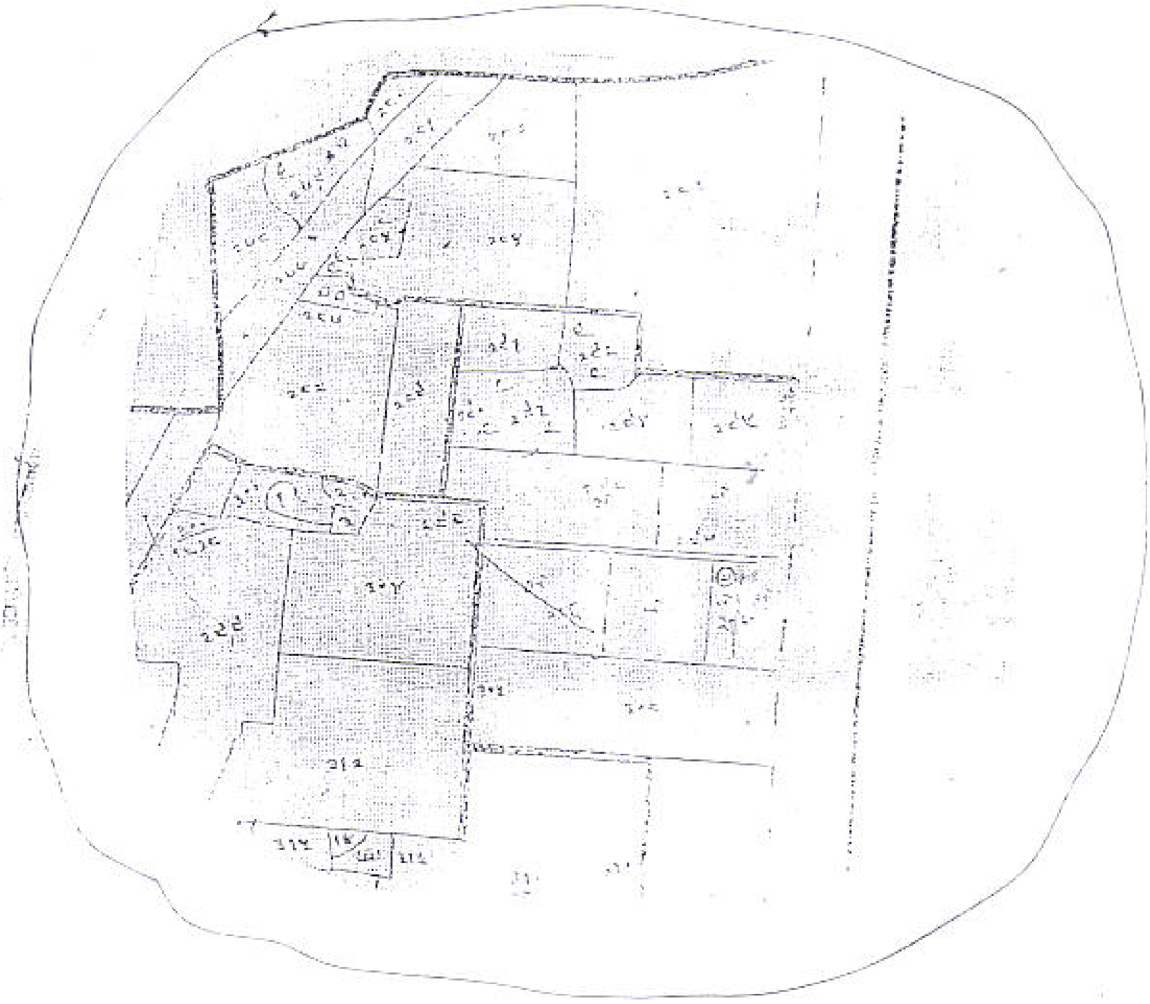

आज दिनांक **06/02/2007** को

वही सं **1** जिल्द सं **8101**

पृष्ठ सं. **397** से **416** पर कमांक **1238**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के के शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/2/2007